		मे जारी हुए
08.12.2021	पत्रावली वास्ते आदेश एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थना पत्र के टाईटिल में ही प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 मोहनदास को जब प्रार्थीगण/रैस्पो0 स्वयं फौत हो जाना अंकित कर रहे हैं तो फिर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थी/रैस्पो0 मोहनदास होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी लायक तहत अदालत ने मृत व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इसके अलावा पत्रावली पर कोई ऐसा भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो अथवा प्रार्थीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार साबित हो रहे हों। विवादित आराजी अपीलाण्ट ने दिनांक 01.09.1971 को जरिये वयनामा विवादित आराजी के पूर्व खातेदार कल्यान सिंह से क्रय की है एवं करीबन 50 साल से विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। जिसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2016 पेज 641, 2017 पेज 386 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 एक अन्तरिम आदेश है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 03.12.2021 को लगभग चार दिवस बाद प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके निर्णय दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ प्रस्तुत मूल दावा की आदेशिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट मूल वाद में दिनांक 30.11.2021 को जरिये अधिवक्ता घनश्याम सिंह धनकर उपस्थित हो चुके हैं। अतः उन्हे अधीनस्थ न्यायालय में ही जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये, चाराजोही करनी चाहिये थी। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। वैसे भी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया। 08/12/2021 (अखिलेश कुमार पिपल) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	